



कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर

क्रमांक / मान्यता / 2025/ ~~83~~

जबलपुर दिनांक : 27/12/2024

2025/61

प्रेस विज्ञापित

02.01.2025

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा 03 निजी विद्यालयों की जांच उपरांत अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य किया गया है:-

1. नचिकेता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर जबलपुर

कक्षा	सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित फीस	विद्यालय द्वारा की गई अवैधानिक फीस वृद्धि अमान्य होने पर सत्र 2024-25 की शुल्क
NUR+LKG+UKG OLD	16800	11500
NUR+LKG+UKG NEW	19800	14500
1 ST TO 5 TH OLD	25300	15700
1ST TO 5TH NEW	29300	19700
6TH TO 8TH OLD	31450	19500
6TH TO 8TH NEW	36450	24500
9TH TO 10TH OLD	32600	20250
9TH TO 10TH NEW	40100	27750
11TH TO 12TH OLD	36600	22750
11TH TO 12TH NEW	44100	30250

2. स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर

कक्षा	सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित फीस		विद्यालय द्वारा की गई अवैधानिक फीस वृद्धि अमान्य होने पर सत्र 2024-25 की शुल्क	
	नव प्रवेशित	पूर्व प्रवेशित	नव प्रवेशित	पूर्व प्रवेशित
Class - Play & Nursery	38300	32000	22700	17400
Class - LKG	40650	33350	24050	18750
Class - UKG	40650	33350	24050	18750
Class - 1st	45850	36550	28900	20600
Class - 2nd	46300	37000	29150	20850
Class - 3rd	46300	37000	29150	20850
Class - 4th	46750	37450	29400	21100
Class - 5th	46750	37450	29400	21100



Class - 6th	48500	38200	30800	21500
Class - 7th	48500	38200	30800	21500
Class - 8th	48500	38200	30800	21500
Class - 9th	55150	42850	35410	24110
Class - 10th	55150	42850	35410	24110
Class - 11th Math	70100	54800	45900	30600
Class - 11th Bio	71200	55900	46800	31500
Class - 11th Commerce	67900	52600	44100	28800
Class - 12th Math	70100	54800	45900	30600
Class - 12th Bio	71200	55900	46800	31500
Class - 12th Commerce	67900	52600	44100	28800

3. सेन्ट जोसफ कान्वेंट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल रांझी

कक्षा	सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित फीस	विद्यालय द्वारा की गई अवैधानिक फीस वृद्धि अमान्य होने पर सत्र 2024-25 की शुल्क
NUR	31000	19800
LKG	34000	21000
UKG	34000	21000
1	40000	25200
2	33000	19200
3	33000	19200
4	33000	19200
5	33000	19200
6	35000	20400
7	35000	20400
8	35000	20400
9	36000	20400
10	36000	20400
11 COM.	39800	24600
11 SCI.	41800	26400
12 COM.	39800	24600
12 SCI.	41800	26400

2. जिला समिति द्वारा निम्नानुसार अवैधानिक फीस वृद्धि पालकों को रिफण्ड करने हेतु आदेशित किया गया है:-

क्रमांक	स्कूल	छात्र संख्या	अवैधानिक रूप से वसूल की गई फीस (करोड़ रुपये में)
1	नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर	10865	5.85
2	स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर	18541	12.02
3	सेंट जोसफ कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी जबलपुर	18498	15.91
	योग	47904	33.78

3. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 9 (9) के तहत उक्त समस्त 05 विद्यालय प्रबंधन पर दो लाख रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि आप शास्ति की राशि को निम्न बैंक खाते में आदेश दिनांक से तीस दिवस के अंदर ऑनलाइन जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई एफ एस सी code	खाताधारक का नाम
01	HDFC BANK M.P. NAGAR BHOPAL	50200059579785	HDFC0001257	COMMISSIONER PUBLIC INSTRUCTION MP

जिला शिक्षा अधिकारी
सदस्य सचिव
जिला समिति जबलपुर